झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संकल्प

सं०सं०-04/आ०-14/2022/2653**/ राँची, दिनांक-**21.11.2022

झारखण्ड के राज्यपाल को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री गोपाल कृष्ण झा (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2), तदेन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोविन्दपुर, धनबाद सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, जामताड़ा के द्वारा प्रशासनिक विफलता दर्शाने, कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति उदासीनता बरतने एवं उक्त कार्य कर सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-03(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण करने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं।

12-12-22

अतः प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री गोपाल कृष्ण झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक-8054 दिनांक-24.11.2021 के आलोक में इस विभाग के लिए नामित जाँच पदाधिकारी श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०) को संचालन -सह- जाँच पदाधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं साक्ष्य सहित आरोप पत्र की प्रति संचालन पदाधिकारी/ उपस्थापन पदाधिकारी/ आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।

आरोपित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष यथा आदेश रखना सुनिश्चित करें। साथ ही वे विभागीय कार्यवाही के संचालन कार्य में विभागीय जाँच पदाधिकारी को पूर्ण सहयोग करेंगें।

संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि निर्धारित समयावधि में जाँच कार्य पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

30.9.22

(कुमुद सहाय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–2653/ **राँची, दिनांक**–21.11.2022

प्रतिलिपि :– विभागीय नोडल पदाधिकारी, विभागीय ई0 पोर्टल को सूचनार्थ एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30.9.22
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2653/ **राँची, दिनांक**–21.11.2022

प्रतिलिपिः– श्री रमेश कुमार दूबे, (सेवानिवृत्त, भा0प्र0से0) संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, नगर प्रशासनिक भवन, एच0इ0सी0 गोलचक्कर के निकट, धुर्वा, राँची/ उपस्थापन पदाधिकारी– श्री अनिल कुमार, अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री गोपाल कृष्ण झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.9.22
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2653/ **राँची, दिनांक**–21.11.2022

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के आप्त सचिव/ विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.9.22
सरकार के संयुक्त सचिव।